खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 34/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामलाल

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 34/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/174

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	रामलाल पुत्र श्री खसाराम चौधरी मैसर्सः– चौधरी ढाबा राम भाई, शान्तिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड रोड़, साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 17.12.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी दिनांक 04.05.2025 को वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स चौधरी ढाबा राम भाई, शान्तिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड रोड़ साण्डेराव रोड़ तहसील सुमेरपुर राज. पर पहूचें तो वहां रामलाल पुत्र श्री खसाराम चौधरी की होटल में लगभग 03 किलोग्राम पनीर (खाद्य सामग्री) रखे हुए था। उक्त खाद्य साम्रगी (पनीर) जिसको वह आम जन को बिक्री कर रहा था। उक्त खाद्य सामग्री में मिलावट का संदेह होने पर रुबरु गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया एवं दुसरी परत पर रसीद प्राप्त कर विक्रेता एवं मालिक को सूचित किया कि उक्त खाद्य सामग्री (पनीर) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु लिया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में रखे हुए पनीर में से 01 किलोग्राम विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किया जिसकी कीमत विक्रेता को 340 रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे व विक्रेता व उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सीरियल नम्बर आर–2545 लिखा व नमूना का विवरण अंकित किया गया। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) को हिलामिला कर एकरुप करके चार साफ व सुखी बोतलमें अलग–अलग बराबर मात्रा में लेकर प्रत्येक में 20–20 बुंद फोरमेलिन डालकर ढक्कन एयर टाईट बन्द किया। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतल पर चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल को अलग–अलग खाकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला–पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 34/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामलाल

कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना बोतल पर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की हस्ताक्षरयुक्त पेपरस्लिप, कोड क्रमांक आर-2545 गोंद से नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, एक सील नमूना बोतल के मुंह पर एक सील पैंदे पर दो नमूना बोतल की बॉडी पर जहां पर धागे की गांठ लगाई पर चपडी लगाकर सीलबंद व सीलमुहर किया। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपरस्लीप व खाकी कागज का क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबंद नमूना को अपने जाब्तें में लिया।

यह कि दिलीपसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सूनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैनें गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंचकर फॉर्म न. 06 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर दो फॉर्म न. 06 की प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फॉर्म न. 06 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं किशोर कुमार ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला,जोधपुर को जमाकर रसीद प्राप्त की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्रांक/एफएसएसए/2025/4716 दिनांक 13.06.2025 एवं जांच रिपोर्ट/एल.एस./804/एक्ट/2025/804 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा मालुम हुआ कि लिया गया पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) नमूना कोड आर-2545 का नमूना अवमानक (Sub Standard) पाया गया है। अतः रामलाल पुत्र श्री खसराम चौधरी मैसर्स चौधरी ढाबा राम भाई, शान्तिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड रोड़, साण्डेराव तहसील सुमेरपुर ने पनीर (खाद्य सामग्री निर्माण स्थल से) अवमानक (Sub Standard) प्रकृति की खाद्य सामग्री का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध पूर्व में कभी भी ऐसी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई। आलोच्य खाद्य सामग्री पनीर को खाद्य प्रयोगशाला में मिलावटी तथा असुरक्षित नहीं पाया गया है, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध नरम रुख अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का ड्रॉप किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 34 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामलाल

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 04.05.2025 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स चौधरी ढाबा (राम भाई) शान्तिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड रोड़ साण्डेराव तहसील सुमेरपुर ज़ेर कार्यवाही खाद्य सामग्री पनीर (खाद्य सामग्री) नमूना क्रमांक आर–2545 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.05.2025 में अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। यदि अप्रार्थी खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो अधिनियम 2006 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौति नहीं दी गई।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub Standard) खाद्य सामग्री पनीर नमूना क्रमांक आर–2545 का विक्रय / भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की (धारा 51) में विहित प्रावधानान्तर्गत अवमानक (Sub Standard) श्रेणी की खाद्य सामग्री पनीर नमूना क्रमांक आर–2545 जो उक्त अधिनियम 2006 में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5000 / – रुपये मात्र अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.34 / 2025 / 2025 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner